दूसरा प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)

(06.03.2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2020/ , 1941 (शक)

Petition/Cover page/AS

सीपीबी. सं. 1 खंड II

मूल्यः रूपये

© 2020 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 110002 द्वारा मुद्रित

विषय-वस्तु

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन (iii)

प्रस्तावना..... (V)

प्रतिवदेन

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग (डीओपीटी/डीपीई) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन के आरोप पर श्री सुरेश सी. अंगड़ी, संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित श्री डी. शिवमूर्ति के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 48वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई । 1

परिशिष्ट

(i) सचिव, लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के दिनांक 5.4.2010 के पत्रांक अर्धशासकीय पत्र सं. 5(1)2000-जीएम की प्रति 26

(ii) स्थापन अधिकारी ओर अपर सचिव, डीओपीटी के दिनांक 23.2.2017 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 28/43(ईओ)/2013-एसीसी द्वारा अधिसूचित सीपीएसई में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों संबधी दिशानिर्देशों के संग्रह के अध्याय -4 का उद्धरण 40

अनुबंध

समिति की 18.2.2020 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश। 51

याचिका समिति का गठन
(2019-20)

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार
6. श्री पी. के. कुनहलिकुट्टी
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
9. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
10. डॉ. भारती प्रवीण पवार
11. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
15. श्री राजन बाबूराव विचारे

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री जी.सी. डोब्राल - अपर निदेशक
4. श्री हरीश कुमार सेठी - कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किए जाने पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग (डीओपीटी/डीपीई) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन के आरोप पर श्री सुरेश सी. अंगड़ी, संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित श्री डी. शिवमूर्ति के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 48वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति का यह दूसरा प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 18.02.2020 को हुई बैठक में प्रारूप दूसरा प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

3. उपरोक्त मामले के संबंध में समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें इस प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

नई दिल्ली;
18 फरवरी, 2020
29 माघ, 1941 (शक)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग (डीओपीटी/डीपीई) के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के संबंध में श्री सुरेश सी. अंगड़ी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री डी.शिवमूर्ति के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में श्री सुरेश सी.अंगड़ी द्वारा अग्रेषित श्री डी. शिवमूर्ति के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) ने अपना अड़तालीसवां प्रतिवेदन 3 अगस्त, 2018 को लोक सभा को प्रस्तुत किया।

2 समिति ने इस मामले में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं तथा रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से कहा गया था कि वे इन सिफारिशों को क्रियान्वित करें और उनसे यह भी अनुरोध किया कि समिति के आगे विचारार्थ इस पर की गई टिप्पणियों को प्रस्तुत करें।

3. उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्निहित सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से की गई कार्रवाई/टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का विस्तृत विवरण परवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

4. समिति ने प्रतिवेदन के पैरा 35, 36 और 37 में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति ने पाया कि श्री डी. शिवमूर्ति ने हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में प्रारंभ में दिनांक 27.2.1991 को मुख्य प्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । तत्पश्चात, उन्हें सहायक महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर तथा दिनांक 01.07.2001 को तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया । कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग) के अधीन लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर, उन्हें दिनांक 28.10.2005 को 5 वर्ष के नियत कार्यकाल हेतु निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया । निदेशक (वित्त) का पद बोर्ड स्तर का गैर वास्तविक पद है, जिसे डीओपीटी/डीपीई के आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार कैबिनेट (एसीसी) नियुक्ति समिति के अनुमोदन से 5 वर्ष के नियत कार्यकाल के लिए तथा जोकि आगे, अगले 5 वर्षों अथवा अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने अर्थात 60 वर्ष तक की आयु तक विस्तारित किया जा सकता है । श्री शिवमूर्ति को एकमात्र आंतरिक उम्मीदवार होने के बावजूद अध्यक्ष, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पद पर विस्तार को मंजूर नहीं किया गया, बल्कि उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में प्रतिकूल टिप्पणी भी की गई । डीओपीटी /डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार, एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना एचएएल प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा श्री शिवमूर्ति को दी जानी चाहिए थी । तथापि, रक्षा मंत्रालय/लोक उद्यम चयन बोर्ड ने उनके 5 वर्ष से अधिक विस्तार न दिए जाने के संबंध में सिफारिश की तथा संयुक्त मूल्यांकन करके ईओ (एसीसी), कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को उक्त प्रस्ताव अग्रेषित किया ।

समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा की गई कार्रवाई से आगे यह भी देखा कि सामान्यतः वार्षिक आधार पर एसीआर का मूल्यांकन किया जाता है । तथापि, यदि एसीआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो, तो संयुक्त मूल्यांकन का प्रावधान है । श्री डी शिवमूर्ति के मामले में, समिति यह देखकर आश्चर्य चकित है कि एसीआर का मूल्यांकन निदेशक (वित्त) के रूप में उनके पद के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष के अंत में किया गया, जिसके कारण उनकी सेवा में विस्तार के संबंध में विचार नहीं किया गया । तत्कालीन अध्यक्ष, एचएएल उनके कार्य निष्पादन के संबंध में रिपोर्टिंग प्राधिकारी थे तथा उनके द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया, जो इस मामले में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (Accepting Authority) थे । तथापि, इसकी रिपोर्ट दिनांक 23.12.2010 को अध्यक्ष, एचएएल द्वारा की गई कि उनकी वर्ष 2009-10 की अवधि की एसीआर के संबंध में श्री डी शिवमूर्ति को विधिवत रूप से सूचित किया गया ।

समिति ने यह भी देखा कि श्री डी शिवमूर्ति के 5 वर्ष के कार्यकाल में आगे विस्तार नहीं किया गया तथा इसके स्थान पर, उनके विरुद्ध प्रतिकूल संयुक्त मूल्यांकन को उद्धृत

करते हुए 3.3.2011 से एचएएल की सेवाओं से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया । चूँकि मंत्रालय/एचएएल प्राधिकारियों द्वारा उनके दृढ़-कथन के पक्ष में कोई भी सार्थक प्रमाण नहीं दिए गए, अतः समिति के पास इस बात पर विश्वास करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि श्री शिवमूर्ति के विरुद्ध संपूर्ण प्रतिकूल परिदृश्य, जिन्होंने 5 वर्ष अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया, अध्यक्ष एचएएल के पद पर उनके चयन की संभावनाओं को नकारा गया । इसके कारण, श्री डी शिवमूर्ति को अपने बकायों के अंतिम निपटान हेतु भी प्रतीक्षा करनी पड़ी । यद्यपि, पूर्व से ऐसा लगता है कि श्री डी शिवमूर्ति के मामले में पूनर्ग्रहणाधिकार (Lien) के विस्तार न मिल पाने के संबंध में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं रही, जबकि समिति की राय में उक्त सभी मामलों में एसीआर अथवा संयुक्त मूल्यांकन पर विचार करने हेतु रक्षा मंत्रालय/एचएएल द्वारा सुदृढ़, सार्वभौमिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनिंदा रूप में लागू न किया जा सके, क्योंकि ऐसी ही प्रक्रिया श्री डी शिवमूर्ति के मामले में लागू की गई । अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसी की भी आवधिक रूप से एसीआर के मूल्यांकन अथवा संयुक्त मूल्यांकन हेतु अचूक तथा पारदर्शी प्रणाली को तैयार करने हेतु सुदृढ़ उपाय की पहल करनी चाहिए । समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।"

5. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"निष्पादन मूल्यांकन सहित सीपीएसई के लिए नीति निर्माण हेतु नोडल एजेंसी लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है । डीपीई द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सीपीएसई द्वारा किया जाता है । कर्मचारियों के एसीआर [अब से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट(पीएआर) के नाम से जाना जाता है] का डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली पहले से ही मौजूद है । संयुक्त मूल्यांकन केवल सेवा अवधि में विस्तार किए जाने और पीएआर बेंच मार्क से कम होने की स्थिति में किया जाता है । वर्तमान में प्रचलित प्रणाली का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों/ अधिशासी निदेशकों / महाप्रबंधकों की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को भरने हेतु प्रचलित प्रणालियों / प्रक्रियाओं / दिशा-निर्देशों को सचिव, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 05.04.2010 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 5(1)/2000 - जी एम द्वारा अधिसूचित किया गया [**परिशिष्ट-क** के रूप में प्रतिलिपि संलग्न] । इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप, में मुख्य कार्यपालकों, कार्यकारी निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों और महाप्रबंधकों के लिए पीएआर का एक सामान्य प्रारूप है । कुल अंकों की गणना एमओयू के लक्ष्यों (डीपीई द्वारा यथा निर्धारित), एमओयू लक्ष्यों से प्राप्त होने वाले निजी लक्ष्यों, निजी सदगुणों और कार्यों एवं क्षमताओं जैसे पीएआर के विभिन्न आंकलित संघटकों पर विचार करते हुए की जाती है । एक बोर्ड स्तर के पदाधिकारी

के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी, पीएसयू का अध्यक्ष और समीक्षा अधिकारी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव होता है । अधीनस्थ अधिकारियों की सत्यनिष्ठा के बारे में उनके वरिष्ठ अधिकारियों के विचारों को भी दर्ज किया जाता ह । पीएआर प्रक्रिया की गहन रूप से मानीटरिंग की जाती है और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाता है ।

ख) जहाँ तक बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार हेतु प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व संयुक्त मूल्यांकन का संबंध है, स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव डीओपीटी के दिनांक 23.02.2017 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 28/43 (ईओ)/2013-एसीसी के अनुसार अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के संबंध में दिशा-निर्देशों के सार-संग्रह (कॉम्पेडियम) के पैरा (ख) के अध्याय-4 में उक्त प्रक्रिया पुन: स्पष्ट रूप से उल्लिखित है [**परिशिष्ट-ख** के रूप में संलग्न अध्याय-4 पैरा (ख) का सार] । अनुसूची 'क' एवं 'ख' सीपीएसई में बोर्ड स्तर के नियुक्त अधिकारियों की सेवा अवधि में विस्तार को अनुमोदित करने का अधिकार एसीसी के पास है और विस्तार करने संबंधी सभी प्रस्तावों को एसीसी के पास भेजा जाएगा । सभी प्रस्तावों, जिनमें पदाधिकारी बेंच मार्क को पूरा नहीं करते हैं, संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा पीईएसबी को भेजा जाएगा । पीईएसबी की सिफारिशों को आदेशों के लिए एसीसी के पास भेजा जाएगा ।

ग) प्रचलित मौजूदा प्रणाली को सभी पात्र कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है ।

चूंकि इस संबंध में मौजूदा डीपीई दिशा-निर्देश पारदर्शी एवं दोष-रहित हैं और डीपीएसयू सहित सभी सीपीएसई द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है और चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी मामलों में डीपीई नोडल मंत्रालय है, इसलिए यह विभाग डीपीई के दिशा-निर्देशों का पालन करता रहा है ।"

6- समिति ने प्रतिवेदन के पैरा 38 और 39 में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति ने पाया कि श्री डी शिवमूर्ति को एचएएल में नियुक्ति संबंधी प्रारंभिक प्रस्ताव दिनांक 13.10.1990 के पत्र के अनुसार मुख्य प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) के पद के लिए जारी किया गया । इसके बाद, श्री डी शिवमूर्ति को एचएएल, ओवरहॉल प्रभाग बेंगलूर में मुख्य प्रबंधक (वित्त) के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया । श्री डी शिवमूर्ति ने दिनांक 27.2.1991 को मुख्य प्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । यद्यपि मुख्य प्रबंधक (वित्त) का पद एचएएल में स्थायी पद है, एचएएल में 'वास्तविक पद' शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता था । महाप्रबंधक (वित्त) का भी पद स्थायी पदों में से एक है, अर्थात कोई पदधारी अधिवर्षिता की आयु नामतः 60 वर्ष तक सेवा में बना रह सकता है । महाप्रबंधक (वित्त) के पद हेतु नियुक्ति /पदोन्नति आंतरिक रूप से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात निदेशक मंडल के अनुमोदन से की जाती है । दूसरी ओर, निदेशक (वित्त), जोकि बोर्ड स्तर का पद है, के पद हेतु नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है । निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति-पहले चरण में- 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु अथवा अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु तक (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है । निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति को 60 वर्ष की आयु तक भी आगे विस्तारित करते हुए जारी रखा जा सकता है तथा तदनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों हेतु डीओपीटी/डीपीई के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार एक स्थायी पद के रूप में भी माना जा सकता है ।

समिति ने आगे यह भी देखा कि एचएएल में महाप्रबंधक का पद बोर्ड स्तर के स्थायी पद से नीचे का पद है, जो निदेशक मंडल के अनुमोदन से आंतरिक रूप में भरा जाता है । श्री डी शिवमूर्ति के मामले में, अभ्यावेदनकर्ता, ने पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने का मामला तब प्रारंभ किया, जब उन्हें बोर्ड स्तर से नीचे के पद से बोर्ड स्तर के पद पर पदोन्नत किया गया तथा पुराने पद अर्थात बोर्ड स्तर से नीचे के पद पर उनके पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को जारी रखने के उनके आशय के बारे में सूचित नहीं किया जा सका । इस संबंध में, समिति सशक्त रूप से सिफारिश करती है कि कार्यकाल के पद हेतु स्थायी पद से पदोन्नति /नियुक्ति के मामले में पुनर्ग्रणाधिकार (Lien) को बनाए रखने हेतु, रक्षा मंत्रालय को ऐसे रूप में सेवा नियमों को संशोधित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को देखते हुए किसी स्थायी पद हेतु उनका /उनकी पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को स्वतः ही बनाया रखा जा सके । समिति को व्यापक प्रभाव के साथ इस मामले पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।"

7- रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया था।-

((बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित मानक निबंधन व शर्तें डीपीई के दिनांक 23.07.2018 के का.ज्ञा.एफ.सं.डब्ल्यू-02/0031/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीआई xx/18 [परिशिष्ट - ग के पैरा 1.18] के द्वारा अधिसूचित की गई हैं जिसमें पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित खंड शामिल हैं ।

खंड 1.18 - पुनर्ग्रहणाधिकार: संबंधित डीपीई/सीपीएसई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि एक सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद पर अपनी नियुक्ति से पूर्व वह एक बोर्ड स्तर के पद से निचले पद पर था/थी, तो अपने बोर्ड स्तर के पद से निचले पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखेगा, यदि लागू हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के पद से निचले पद के कर्मचारियों के बोर्ड स्तर के पदों पर चयन एवं नियुक्ति होने पर यथा अनुप्रयोज्य पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क) 1999 के साथ पठित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 31.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23(9)/93-जीएम के अनुसार समान अथवा किसी अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के बोर्ड स्तर के पदों पर उनके चयन एवं नियुक्ति के मामले में <u>अधिकतम 5 वर्षों की अवधि हेतु</u> पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने की अनुमति प्रदान की जाती है । हाल ही में, डीपीई ने अपने दिनांक 27.11.2018 के का.ज्ञा.सं. 16(10)/2010-जीएम के द्वारा पुनर्ग्रहणाधिकार की अधिकतम अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया है ।

ख) एचएएल का संस्था अंतर्नियम का अनुच्छेद 107बी बताता है कि कंपनी बोर्ड स्तर से नीचे के पदों को धारित करने वाले अपने कर्मचारियों को एचएएल के अंदर या किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने की <u>'अनुमति देगा'</u> ;

ग) आगे, कंपनी की मानव संसाधन नियमावली यह भी दर्शाती है कि बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों को एचएएल के अंदर अथवा अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु, उन्हें बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर उनकी नियुक्ति पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने हेतु अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक अनुमति दी जाएगी । उक्त नियमों में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 03 वर्षों (सुसंगत समय पर) तक पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने की अनुमति दे सकता है । इससे एक कर्मचारी को विशेष रूप से आवेदन करने और पुनर्ग्रहणाधिकार के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा । चूंकि पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवदेन की अनुपस्थिति में स्वतः पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है ।

घ) उपरोक्त (ख) एवं (ग) में कंपनी के संस्था अंतर्नियम/नियम के साथ पठित उपरोक्त (क) में दिए गए डीपीई अनुदेशों के अनुसार, बोर्ड स्तर के पदों हेतु नियुक्त किए जा

रहे कंपनी के अधिकारीगण बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने हेतु उन्हें अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन देते रहे हैं ।

ङ) श्री डी. शिवमूर्ति ने निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति होने पर महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने हेतु अनुमति नहीं माँगी थी और अत: उन्हें बोर्ड स्तर के पद से निचले पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई;

च) बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्त एचएएल के अधिकारी बोर्ड स्तर से निचले पदों पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है । बोर्ड स्तर के पदों के अतिरिक्त, एचएएल में कोई भी अन्य कार्यकाल आधारित पद नहीं है, जिस पर स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता हो;

चूंकि डीपीई के मौजूदा दिशा-निर्देशों में पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने के प्रश्न का पहले ही ध्यान रखा गया है, इसलिए सेवा नियमों में और अधिक संशोधन करना अपेक्षित नहीं है ।"

8. समिति ने प्रतिवेदन के पैरा 40, 41, 42, 43, 44 और 45 में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति ने नोट किया कि एचएएल संबंधी संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 107बी में बोर्ड स्तर के पदों हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर कंपनी में पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने का प्रावधान किया गया है । उक्त सुसंगत नियमों के अनुसार, ऐसे इच्छुक व्यक्तियों के पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien)को बनाए रखने हेतु उन्हें इसके लिए आवेदन देने की आवश्यकता होती है तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचएएल द्वारा इस प्रकार के पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है । उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) के दिनांक 13.1.1999 के का.ज्ञा. तथा रक्षा मंत्रालय के दिनांक 17.2.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जब उन्हें कंपनी के अंदर अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पद (पदों) पर नियुक्त किया जाता है, तब एचएएल के बोर्ड स्तर से नीचे के अपने पदधारित कर्मचारियों को उनके दिनांक 4.3.1999 के आदेशों द्वारा 5 वर्षों के पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने की अनुमति प्रदान की ।

रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार, समिति ने आगे यह पाया कि श्री डी शिवमूर्ति ने दिनांक 28.10.2005 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त अथवा दिनांक 3.3.2011, अर्थात उनकी निदेशक (वित्त) पद की अवधि की समाप्ति तक की तारीख तक महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) हेतु आवेदन करने के अपने अधिकार प्रयोग नहीं किया, जिससे लोक उद्यम चयन बोर्ड /डीओपीटी की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात एसीसी द्वारा आगे उनके कार्यकाल को विस्तारित नहीं किया गया ।

समिति ने रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति में आगे यह नोट किया कि श्री डी शिवमूर्ति ने निदेशक (वित्त) के पद से कार्यमुक्त होने की तारीख से 3 वर्षों से भी अधिक समय होने के बाद अर्थात केवल मई 2014 में महाप्रबंधक (वित्त) के पद के लिए ही एचएएल में पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) हेतु आवेदन दिया था । रक्षा मंत्रालय के दिनांक 18.3.2014 के पत्र के माध्यम से सतर्कता अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत मई 2014 में ही उनके सेवाकाल समाप्ति संबंधी लेखा विवरण का निपटान किया गया । वर्तमान नियम /दिशा निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था, चूँकि निदेशक (वित्त) के रूप में उनके कार्यकाल में विस्तार न होने के कारण श्री डी शिवमूर्ति ने कंपनी के साथ अपने अंतिम लेखा निपटान हेतु आवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया था ।

पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने के संबंध में, समिति को यह देखकर संतुष्टि हुई कि रक्षा मंत्रालय एवं -हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित- उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने हेतु डीओपीटी/डीपीई दिशा निर्देशों को निष्पक्ष भाव के साथ लागू किया जा रहा है । इस संदर्भ में, समिति डॉ एस के कक्कर के मामले पर विश्वास करती है, जिसके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ निम्नवत हैं :-

" यह दर्शाया जाएगा कि किसी भी स्थायी पद पर की गई नियुक्ति चाहे वह केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के संवर्ग से बाहर की हो, कर्मचारी द्वारा जहाँ से भी प्रारंभ की गई हो, पूर्व स्थायी पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार किसी नए स्थायी पद के पुनर्ग्रहणाधिकार प्राप्त करने पर समाप्त हो जाएगा । निदेशक का पद एआईआईएमएस (एम्स) के प्रमुख का पद है तथा यह सभी विभागों से स्वतंत्र है । निदेशक का पद एआईआईएमएस(एम्स) के न केवल प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए है, बल्कि संस्थागत निकाय की ओर से तथा अपने प्रबंधन कार्य के लिए भी है । अतः निदेशक के रूप में स्थायी पद हेतु उनकी नियुक्ति पर उन्होंने ईएनटी विभाग के प्रमुख तथा प्रोफेसर के रूप में उक्त पद पर अपना पुनर्ग्रहणाधिकार खो दिया । परिणामतः जब अपील कर्ता का कार्यकाल विनियम 30ए में उल्लिखित किन्हीं भी हालातों में अथवा समय बीत जाने के कारण समाप्त हो गया था, तब उनकी पुनःवापसी विभाग प्रमुख के रूप में तथा प्रोफेसर के पद पर नहीं हो सकती है । "

आगे समिति ने देवब्रत सहाय बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 8.4.03 के माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय, पैरा 22 का भी संज्ञान लिया है, जोकि निम्नवत है:-

"ऐसे पुनर्ग्रहणाधिकार का होना एवं उसके फलस्वरूप की घटनाएँ सार्वजनिक कर्मचारी पर लागू सेवा नियमावली के निबंधन एवं शर्तों पर निर्भर करती हैं । सामान्यतः जब कोई व्यक्ति पुनर्ग्रहणाधिकार के साथ किसी दूसरे पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त किया जाता है, तो उसे बाद वाले पद के लिए पुनर्ग्रहणाधिकार प्राप्त हो जाता है और पिछले पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार स्वतः रूप से समाप्त हो जाता है । लेकिन यदि उक्त नियम में इसके विपरीत कोई प्रावधान है, तो उक्त नियम में दी गई अवधि के दौरान उस पद पर वास्तविक रूप से स्थायी पदधारी सार्वजनिक कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहेगा । ऐसी परिस्थितियाँ भी देखी गई हैं, जहाँ सार्वजनिक कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार स्थायी पद तक, जिसे वह वास्तविक क्षमता के अनुसार किसी कार्यकाल पद पर अपनी नियुक्ति पर वास्तविक रूप से पुनर्ग्रहणाधिकार रखता है, उसे आस्थगित कर दिया जाता है"

तथापि, समिति ने लिखित उत्तर एवं मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान पाया कि मंत्रालय बारबार एक ही बात दोहरा रहा है कि श्री डी शिवमूर्ति द्वारा पूर्व /मूल पद के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि समिति की दृढ़ राय है कि पहले ही कर्मचारियों को उनके पूर्व पद में पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने संबंधी चूक हेतु अवश्य रूप से लिखित सूचना देने के लिए मंत्रालय द्वारा मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों को पुनः समीक्षा एवं संशोधन करना चाहिए ताकि भविष्य में कर्मचारियों को ऐसी कठिनाई की पुनरावृत्ति न हो । तथापि, श्री डी शिवमूर्ति द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलुओं की क्रमिक पुनरावृत्ति तथा मंत्रालय की प्रस्तुतीकरण को देखते हुए समिति रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करती है कि निम्नलिखित निर्णायक घटकों को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे मामले की पुनः समीक्षा की जाए :-

(i) किसी सेवारत कर्मचारी द्वारा किसी संगठन में कोई वास्तविक पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार प्राप्त किया गया है, तो क्या कर्मचारी के लिए आवश्यक है कि वह लिखित रूप में अथवा अन्यथा पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने हेतु अनुमति प्राप्त करे, संगठन स्वेच्छानुसार स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार को समाप्त कर सकता है, इस प्रकार कर्मचारी के पास किसी पद पर कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं होगा ।

(ii) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिनांक 13 जनवरी 1999 के राष्ट्रपति निर्देशों को कार्यान्वित किया था, जो अन्य बातों के साथ साथ 16 वर्षों के अधिक विलंब के उपरांत कर्मचारी के पुनर्ग्रहणाधिकार को 3 से 5 वर्षों के लिए विस्तार करने से संबंधित है ।

(iii) श्री डी शिवमूर्ति की सेवा के दौरान, क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उनके पुनर्ग्रहणाधिकार में विस्तार किया गया ।

(iv) चूँकि 'किसी कर्मचारी को पद से कार्यमुक्त करने' तथा ' सेवा से किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने' में अंतर होता है, तो क्या दिनांक 3 मार्च 2011 को श्री डी शिवमूर्ति को निदेशक (वित्त) के पद से कार्यमुक्त किया गया, परंतु हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सेवा से नहीं ।

समिति तकनीकी आधार पर हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उनकी सेवाओं को समाप्त करके श्री डी शिवमूर्ति को हुई कठिनाई को कम करने में रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से अवगत होना चाहेगी, जिसे प्राकृतिक न्याय के बुनियादी विधि सिद्धातों तथा संगठन के नियमों /विनियमों के कल्याण-उन्मुख व्याख्या का अनुपालन करके निचले स्तर के पदधारी द्वारा भी अन्यथा रूप में प्रकार्यात्मक स्वरूप दिया जा सकता था ।"

9- रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई इस में निम्नवत बताया है:-

" श्री डी शिवमूर्ति, 28.10.2005 को निदेशक(वित्त) के पद पर नियुक्त किए गए थे और वे इस पद पर 03.03.2011 तक अर्थात जिस तारीख को उन्हें कार्यमुक्त किया गया था, पर रहे थे । कार्यमुक्त किए जाने पर, श्री शिवमूर्ति ने महाप्रबंधक(वित्त) के पद के प्रत्यावर्तन के लिए न तो कोई अनुरोध किया था और न ही उन्होंने लियन बनाए रखे जाने के मामले को उठाया था। उन्होंने निदेशक(वित्त) के पद से तत्काल प्रभाव अर्थात 03.03.2011 से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में, अपनी सभी देयों को बैंक खाता में जमा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दिनांक 07.03.2011 एवं 04.05.2011 के पत्र के माध्यम से अपने भविष्य. निधि के बकायों को भी निपटाने का पुनः अनुरोध किया था और इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे किसी संगठन में सेवा नहीं देंगे । इस समय तक भी उन्होंने लियन बनाए रखने का मामला नहीं उठाया था । तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात्, अर्थात् मई 2014 में उन्होंने एचएएल के साथ लियन का मामला उठाया है ।

उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि 5 वर्ष से अधिक तक बोर्ड स्तरीय पद पर रहने के पश्चात, श्री डी शिवमूर्ति प्रचलित नियमों से अच्छी तरह से अवगत रहे होंगे । चूंकि श्री डी शिवमूर्ति ने अपने त्यागपत्र के समय महाप्रबंधक(वित्त) के पद पर लियन का दावा करने के संबंध में किसी प्रकार के इरादे की अभिव्यक्ति नहीं की थी, अतः लियन बढ़ाए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

एचएएल, रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है । श्री डी शिवमूर्ति लगभग 20 वर्ष तक एचएएल के कर्मचारी थे । मार्च, 2011 में कार्यमुक्ति के पश्चात्, उन्होंने महाप्रबंधक(वित्त) के पद पर अपना दावा नहीं किया । इसके साथ ही उन्होंने 2011 के बाद तत्काल एचएएल के साथ अपने मामले का अनुसरण नहीं किया था । तीन वर्ष बीत जाने के बाद 2014 में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और याचिका समिति के द्वारा मंत्रालय से संपर्क किया । उसमें मांगी गई सूचना को समय-समय पर विधिवत रूप से उपलब्ध कराया गया । चूंकि उन्होंने सीधे मंत्रालय को संपर्क नहीं किया था अतः इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को उत्तर देने/टिप्पणी प्रस्तुत करने में मंत्रालय की भूमिका सीमित थी।

इस समय, चूंकि एचएएल के कर्मचारी, बोर्ड स्तरीय पद पर नियुक्त होने पर, अब दिनांक 23.07.2018 के डीपीई. कार्यालय ज्ञापन के खंड 1.1ए के मद्देनजर लियन को बनाए रखने की मांग कर सकते हैं और लियन बनाए रखने की अनुमति भी दी जाएगी, अतः ऐसे अवसर का उपयोग नहीं किए जाने का उदाहरण नहीं उठेगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां पदधारी लिखित में लियन को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं मांगना

चाहता है। इसके अलावा, लियन मांगते समय, यह कर्मचारी के संज्ञान में होता है कि लियन के लिए दी गई अनुमति लियन के निर्धारित अवधि के बीत जाने के पश्चात् समाप्त हो जाएगी । चूंकि संबंधित कर्मचारी लियन अवधि की समय-सीमा से पहले से ही अवगत होते हैं, अतः लियन के व्यपगत होने के संबंध में संबंधित कर्मचारी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती है।

<u>निम्नलिखित निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए श्री डी शिवमूर्ति के पूरे मामले का पुनर्वालोकन :</u>

(क) 'मूल पद' की शब्दावली एचएएल में प्रयोग नहीं की जाती है ।

(ख) कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद-107 बी के अनुसार किसी बोर्ड स्तर के नीचे के पद पर तब लियन बनाए, जब बोर्ड स्तर पद के लिए नियुक्त किया गया हो, किसी सेवारत कर्मचारी द्वारा स्वतः अर्जित नहीं किया जा सकता है । उन्हें इसे मांगना पड़ता है और ऐसा करने के लिए उन्हें अनुमति दी जाती है ।

(ग) डीपीई का. ज्ञा. दिनांक 13.01.1999 के अनुसार, बोर्ड स्तर से नीचे के पद पर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक लियन बनाए रखना अनुमत है जो कर्मचारी द्वारा किए गए अनुरोध पर आधारित है जब वह बोर्ड स्तर के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। डीपीई का.ज्ञा. दिनांक 27.11.2018 के दवारा लियन की अधिकतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है ।

(घ) एक बार लियन बनाए रखने की अनुमति दे देने के पश्चात्, लियन अवधि के दौरान इसे मनमाने ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

(ङ) डीपीई के दिनांक 13.01.1999 के का. ज्ञा. (पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के संबंध में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि प्रदान करने हेतु) अग्रेषित किया गया । एचएएल के दिनांक 04.03.1999 के परिपत्र सं. एचएएल/पी एंडए/46(12)-3/99 के माध्यम से कंपनी में उक्त का. ज्ञा. को अधिसूचित किया गया । इस प्रकार डीपीई के दिनांक 13.01.1999 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों को वर्ष 1999 में ही लागू किया गया ।

(च) तत्पश्चात् वर्ष 2014 के दौरान कंपनी के नियमों/संस्था के अंतर्नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया । कंपनी के औपचारिक नियमों के संशोधन में हुए विलंब से किसी भी कर्मचारी को उनके बोर्ड स्तर से नीचे पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के संबंध में प्रभाव नहीं पड़ा था ।

(छ) श्री डी शिवमूर्ति ने निदेशक(वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति के समय या निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी कार्य अवधि के दौरान अपने पद महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने हेतु आवेदन नहीं किया था । ऐसी स्थिति में, उन्हें बोर्ड स्तर से नीचे के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाए रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई ।

(ज) उनके बोर्ड स्तर से नीचे के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने हेतु अनुमति न प्रदान किए जाने की स्थिति में पुनर्ग्रहणाधिकार के विस्तार का तो प्रश्न नहीं उठता ।

(झ) यद्यपि, सामान्यतः कर्मचारी को पद से कार्यमुक्त करने तथा सेवा से कर्मचारी को कार्यमुक्त करने में अंतर हो सकता है और जहां तक श्री शिवमूर्ति के मामले के संबंध में, उन्हें दिनांक 03.03.2011 के पत्र के माध्यम से निदेशक (वित्त) पद से कार्यमुक्त करना कंपनी की सेवा से कार्यमुक्त करने के समतुल्य है जिसके निम्नलिखित कारण हैं:-

i. उन्होंने निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण के दौरान अथवा निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड स्तर से नीचे के पद के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने हेतु अनुरोध नहीं किया था ;

ii. दिनांक 03.03.2011 को निदेशक (वित्त) के पद से भी कार्यमुक्त होने पर, उन्होंने एचएएल से महाप्रबंधक (वित्त) पद पर प्रत्यावर्तन हेतु न तो अनुरोध किया था तथा न पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने संबंधी मामला उठाया था ;

iii. जब उन्हें पता चला कि निदेशक (वित्त) के रूप में उनके कार्यकाल में विस्तार न किए जाने के निर्णय को बताते हुए मंत्रालय ने दिनांक 03.03.2011 का पत्र जारी किया है, तब उन्होंने 03.03.2011 को निदेशक (वित्त) पद से तत्काल प्रभाव अर्थात 03.03.2011, से वास्तव में अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया था । उन्होंने अपने त्याग पत्र में, देय बकायों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए अनुरोध किया था । उनकी ओर से त्यागपत्र प्रस्तुत करने का तात्पर्य स्वतः ही कंपनी की सेवा से कार्यमुक्त होना रहा ;

iv. उन्होंने दिनांक 07.03.2011 एवं 04.05.2011 के पत्रों के माध्यम से भविष्य निधि संबंधी देय धनराशि के निपटान हेतु अनुरोध किया था तथा यहाँ तक कि उन्होंने घोषणा की कि वे दिनांक 04.06.2011 से कोई नौकरी नहीं करेंगे तथा मार्च 2012 तक कोई अन्य कंपनी में पद ग्रहण नहीं करेंगे ।

v. उनकी भविष्य निधि संबंधी राशि का निपटान वर्ष 2011 में ही किया गया तथा बिना किसी आपत्ति के उन्होंने स्वीकार भी किया । चूँकि, वे अपनी सेवा समाप्ति/कंपनी के साथ संबंध विच्छेद के संबंध में आश्वस्त थे, अतः उनके द्वारा भविष्य निधि निपटान के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किया गया होगा ।

पुनर्ग्रहणाधिकार के संबंध में एचएएल द्वारा उनका पहला पत्राचार मई 2014 में प्राप्त किया गया, अर्थात निदेशक (वित्त) के पद से उनकी कार्यमुक्ति के 3 वर्षों से भी अधिक समय बीतने के पश्चात, जिसका उत्तर दिया गया । इस संबंध में यह सूचित करना समीचीन होगा कि दिनांक 18.03.2014 के मंत्रालय पत्र से सतर्कता अनुमति प्राप्ति के फलस्वरूप, मई 2014 में उनकी सेवा समाप्ति संबंधी लेखे का निपटान किया गया ।

<u>हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में श्री डी शिवमूर्ति को उनकी सेवा समाप्ति से हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए गए उपाय:</u>

(क) प्रारंभ में, यहां इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि एचएएल की ओर से श्री डी शिवमूर्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई थी । उनके मामले में विषम परिस्थितियों के घटित होने के पीछे वास्तविकता यह है कि उन्होंने निदेशक(वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अथवा अपनी नियुक्ति पर कंपनी के वर्तमान नियमों के अनुसार बोर्ड स्तर से नीचे के पद में लियन को बनाए रखने की मांग कंपनी के वर्तमान नियमों के अनुसार नहीं की थी जो उनके नियुक्ति पर अथवा निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यकाल के दौरान विद्यमान डीपीई दिशानिर्देश पर आधारित था ।

(ख) श्री डी शिवमूर्ति को इस बात की कोई शंका नहीं थी कि उनका संबंध एचएएल के साथ 03.03.2011 को समाप्त हो चुका है । उसके बाद की सभी घटनाएं उनके बाद के विचार के परिणामस्वरूप थी । ॥

10. समिति ने प्रतिवेदन के पैरा 46 और 47 में निम्नवत सिफारिशें की थीं:

"समिति को अवगत कराया गया है कि कर्मचारी को बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्त होने पर पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने हेतु एचएएल में निर्धारित नियम है । कथित नियम में उल्लिखित है कि उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) के दिनांक 13.1.1999 के का.ज्ञा. के अनुसार, एचएएल अथवा कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्त किए जाने पर, एचएएल बोर्ड स्तर से नीचे के पदधारी कर्मचारियों को विशिष्ट अवधि (अभी 5 वर्ष) हेतु अपने पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने के लिए अनुमति प्रदान करेगा । उक्त नियम में निहित है कि निर्धारित अवधि से भी अधिक अपने पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने के लिए ऐसे इच्छुक कर्मचारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है तथा पहले ही पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/एचएएल, से अनुमोदन प्रदान किए जाने आवश्यकता है । श्री शिवमूर्ति के मामले में, चूँकि उन्होंने महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार [या तो निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति के समय या निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान] को बनाए रखने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, अतः निदेशक (वित्त) के रूप में 28.10.2005 से उनकी नियुक्ति पर पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । परिणामतः, महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर उनका कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं था । इस प्रकार, दिनांक 3.3.2011 से निदेशक (वित्त) के पद से श्री डी शिवमूर्ति की कार्यमुक्ति कंपनी से उन्हें कार्यमुक्त किए जाने के समान ही रही ।

आगे, किसी कर्मचारी को किसी विशेष पद से कार्यभार मुक्त करने का तात्पर्य कंपनी से कार्यमुक्त करने से नहीं है । मंत्रालय ने ऐसा कोई नियम इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया, जो प्रचलन में हो । इस संबंध में समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार ऐसा कोई विनिर्दिष्ट नियम /प्रावधान नहीं है । अतः समिति द्वारा संस्तुति की जाती है कि सामान्यतः उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) तथा विशेष रूप से एचएएल के साथ परामर्श करके रक्षा मंत्रालय द्वारा तत्काल रूप से विशिष्ट नियम /प्रावधान इस प्रकार से तैयार किया जाए, जिससे कर्मचारियों के कैरियर अवसर ही बाधित न हो, बल्कि श्री शिवमूर्ति जैसे दीर्घ सेवारत कार्मिक के रोजगार की बलात समाप्ति की कीमत पर भविष्य में अलग अलग प्राधिकरणों द्वारा किसी प्रकार की अलग

अलग व्याख्या करने अथवा अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रह सके । इस संबंध में समिति को आगे की गई कार्रवाई से अवगत कराना होगा ।"

11- रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है-

"सभी सीपीएसई नियमों एवं विनियमों द्वारा अधिशासित होते हैं जो लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निरुपित किए जाते हैं । डीपीई ने का.ज्ञा. सं. डब्ल्यू-02/0031/2018-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीआई. XX/18 दिनांक 23.07.2018 के माध्यम से लियन को बनाए रखने में खण्ड(1.18) शामिल किया गया है ताकि इस संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं रहे और व्यक्ति लियन बनाए रखने का प्रयास करे । चूंकि लियन के खण्ड को डीपीई द्वारा पहले ही शामिल किया जा चुका है अतः इस संबंध में आगे और नियमों को निरुपित करने की आवश्यकता नहीं है ।"

12- समिति ने प्रतिवेदन के पैरा 48 में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति को सूचित किया जाता है कि वर्ष 1999 से किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) पाँच वर्षों तक विस्तारित किया गया । बोर्ड स्तरीय पदों के संबंध में एचएएल द्वारा डीपीई दिशा निर्देशों का सख्त अनुपालन किया जाता है, जो एसीसी द्वारा अनुमोदित है । यद्यपि, बोर्ड स्तर से नीचे के पदों हेतु सभी सेवा शर्तें एचएएल के भर्ती नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, फिर भी बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने पूर्व बोर्ड से नीचे स्तर के पदों के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने हेतु कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं । उक्त तथ्यों के होते हुए भी, सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा डीओपीटी/डीओपी के दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है तथा एचएएल में विशेष रूप से समिति ने निश्चित तौर पर यह महसूस किया कि नियुक्तियों हेतु भर्ती नियमों के अंतर्गत उदाहरण स्वरूप बोर्ड स्तर से नीचे, बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे से बोर्ड स्तर के नियुक्तियों में भी किसी कर्मचारी के लिए पिछले पद के आधार पर पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने हेतु संशोधन / विनियमन के लिए पुनर्विलोकन की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में किसी भी कर्मचारी की सहमति के बिना समान स्थिति में स्वतः सेवा समाप्ति न घटित हो सके। किसी भी मामले में, व्यक्ति को अपनी पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) अवधि के पूरे होने से पहले अपने पूर्व पद ग्रहण करने का विकल्प होना चाहिए । अतः समिति अनुरोध करती है कि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम (लोक उद्यम विभाग) एवं कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग) के साथ परामर्श करके रक्षा मंत्रालय द्वारा मौजूदा नियम /दिशा निर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कर्मचारी को अपने नए पद की पुष्टि होने तक स्वतः पूर्व पद के पुनर्ग्रहणाधिकार (Lien) को बनाए रखने के संबंध में संबंधित नियम /दिशा निर्देशों के संशोधन हेतु तदनुसार कार्रवाई करें। सदन के समक्ष इस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर समिति को इस संबंध में लिए गए अंतिम निर्णय से भी अवगत कराया जाए ।"

13- अपने की गई कार्यवाही उत्तर में, रसायन मंत्रालय (रसायन उत्पाद विभाग) ने निम्नवत् बताया है :-

"नए पद पर किसी कर्मचारी की पुष्टि होने तक पिछले पद पर एक कर्मचारी के लियन को खुद-ब-खुद बनाए रखने का प्रश्न तब तक उठता है जब प्रश्नगत दोनों पद स्थायी (मूल) पद हो जिस पर लियन का दावा किया जा सकता हो । इस विषयागत मामले में

महाप्रबंधक(वित्त) का पद, ऐसा पद है जिस पर लियन का दावा किया जा सकता है । तथापि, निदेशक का पद एक सेवाकालिक पद है अतः इस मामले में लियन का प्रश्न नहीं उठता है । इसके साथ ही लियन का दावा स्थायी पद पर नियुक्ति की पुष्टि होने के बाद उस पद को लियन अर्जित करने पर, पूर्व का नियम समाप्त हो जाता है । वर्तमान मामले में, यह नोट किया जाए कि निदेशक(वित्त) के पद में पुष्टि सेवा की एक साल पूरा कर लिए जाने पर की जाती है जबकि महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर लियन 5 वर्ष तक अनुमत है ।"

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) हेतु न्यायोचित और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता।

14. समिति ने अपने अड़तालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में श्री डी.शिवमूर्ति के मामले में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) में महाप्रबंधक वित्त के पद पर लियन का विस्तार न देने के संबंध में विचार किया था। संक्षेप में मामला यह है कि डी.शिवमूर्ति, तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त), एचएएल को 28 अक्तूबर, 2005 से निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया था जो एक अस्थायी बोर्ड स्तरीय पद है और यह पद डीओपीटी/डीपीई के आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) के अनुमोदन पर भरा जाता है तथा इस पद को पांच वर्ष की अवधि से अधिक समय या अधिवार्षिता की अवधि अर्थात् 60 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान मामले में रक्षा मंत्रालय/लोक उद्यम चयन बोर्ड ने उनके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में प्रतिकूल टिप्पणी के कारण श्री उनके कार्यकाल को पांच वर्ष से बढ़ाकर विस्तार न देने की सिफारिश की थी एवं संयुक्त मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रस्ताव को ईओ (एसीसी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अग्रेषित कर दिया था। इसके पश्चात् श्री डी.शिवमूर्ति को एकमात्र आंतरिक पात्र उम्मीदवार होने के बावजूद एचएएल के अध्यक्ष पद पर सेवा विस्तार नहीं दिया गया था। इसके बाद श्री डी.शिवमूर्ति को 3 मार्च, 2011 से एचएएल की सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया था।

15. समिति ने श्री डी.शिवमूर्ति के अभ्यावेदन की जांच करते हुए पाया था कि उनके मामले में लियन को न बढ़ाने के संबंध में कोई प्रक्रियागत चूक नहीं हुई थी। इसके बावजूद समिति का मत था कि रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)/एचएएल द्वारा ऐसे सभी मामलों में एसीआर या संयुक्त मूल्यांकन के लिए एक वैश्विक और पारदर्शी प्रक्रिया विधिवत तैयार की जानी चाहिए ताकि मूल्यांकन तंत्र पृथक-पृथक तौर पर लागू न किया जाए क्योंकि श्री डी.शिवमूर्ति में मामले में ऐसा किया गया था। अतः समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की

पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसी व्यक्ति के आवधिक एसीआर का मूल्यांकन करने या संयुक्त मूल्यांकन करने के लिए त्रुटिरहित और पारदर्शी प्रणाली विकसित की जाए।

16. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि कार्यनिष्पादन मूल्यांकन सहित सीपीएसई के संबंध में नीति निर्माण हेतु नोडल एजेंसी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) है एवं डीपीई के बनाए गए दिशानिर्देश सीपीएसई द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। सीपीसीई के मुख्य कार्यपालकों/कार्यपरक निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों और महाप्रबंधकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) और संयुक्त मूल्यांकन जो केवल कार्य अवधि के विस्तार के समय किया जाता है और ऐसे मामलों में जहां पीएआर बेंचमार्क से कम है, के संबंध में वर्तमान प्रणाली/प्रक्रिया/दिशानिर्देश पर मंत्रालय ने दलील दी है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई कर्मचारियों के एसीआर/पीएआर का मूल्यांकन करने के लिए त्रुटिरहित और पारदर्शी प्रणाली पहले से विद्यमान है और विभाग में उसके नियंत्रणाधीन पीएसयू के संबंध में इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। समिति यह नोट कर आश्चर्यचिकित है कि रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसी व्यक्ति के आवधिक एसीआर या संयुक्त मूल्यांकन करने के लिए त्रुटिरहित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने के संबंध में की गई आवश्यक कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में अपने की गई कार्रवाई में कोई सूचना नहीं दी है। अतः समिति अपने पूर्व की सिफारिश को दुहराती है और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से आग्रह करती है कि वह भारी उद्योग विभाग (एपीई) के परामर्श से किसी व्यक्ति की एसीआर का आवधिक मूल्यांकन या संयुक्त मूल्यांकन करने के लिए त्रुटिरहित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना सुनिश्चित करें एवं इसे ईमानदारी से अपनाए। इस संबंध में प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के अंदर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई से समिति को अवगत कराएं।

'लियन बनाए रखने' के लिए सेवा नियमों का पालन करना

17. समिति ने श्री डी.शिवमूर्ति के वर्तमान अभ्यावेदन की जांच करते हुए नोट किया था कि श्री डी.शिवमूर्ति को लियन बनाए रखने का मामला तब शुरू हुआ था जब वे बोर्ड स्तरीय से

निम्न पद अर्थात् महाप्रबंधक (वित्त) से बोर्ड स्तरीय पद अर्थात निदेशक (वित्त) के पद पर पदोन्नत हुए थे तथा उन्होंने पुराने पद अर्थात् बोर्ड स्तरीय पद से नीचे के पद पर अपना लियन जारी रखने के बारे में सूचना नहीं दी थी। समिति ने इस संबंध में सिफारिश की थी कि स्थायी पद से आवधिक पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के मामले में लियन बनाए रखने हेतु रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए इस तरह से आवश्यक कदम उठाए कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर विचार करते हुए स्थायी पद पर व्यक्ति का स्वतः लियन बना रहे। रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन एफ.स.डब्ल्यू 02/0031/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीआईएक्सएक्स/18 दिनांक 23.07.2018 का संदर्भ दिया जिसमें बोर्ड स्तरीय पदों की नियुक्ति के संशोधित मानक नियमों और शर्तों को अधिसूचित किया गया है तथा लियन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित खंड शामिल हैं -

खंड 1.18 - पुनर्ग्रहणाधिकारः संबंधित डीपीई/सीपीएसई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि एक सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद पर अपनी नियुक्ति से पूर्व वह एक बोर्ड स्तर के पद से निचले पद पर था/थी, तो अपने बोर्ड स्तर के पद से निचले पद, यदि लागू हो, पर पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखेगा।

18. श्री डी.शिवमूर्ति के वर्तमान मामले में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में इस बात को दोहराया है कि श्री डी.शिवमूर्ति ने निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति पर महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर अपना लियन बनाए रखने की मांग नहीं की थी और इसलिए उन्हें बोर्ड स्तरीय पद से नीचे के पद पर लियन बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि बोर्ड स्तरीय पदों पर नियुक्त होने वाले एचएएल के अधिकारी बोर्ड स्तरीय पद के नीचे वाले पद पर लियन बनाए रखने की मांग करते हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तथा चूंकि डीपीई के वर्तमान दिशानिर्देशों में लियन बनाए रखने के मुद्दों पर पहले ही ध्यान दिया गया है इसलिए सेवा नियमों में और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि समिति लियन बनाए रखने के संबंध में बोर्ड स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु मानक निबंधन एवं शर्तों में संशोधन से संतुष्ट है। तथापि, समिति रक्षा मंत्रालय (रक्षा

उत्पादन विभाग) से पुनः सिफारिश करना चाहती है कि वह भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए लियन बनाए रखने को लेकर अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू के बोर्ड स्तरीय पदों या बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में संगत नियमों और शर्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

'लियन में चूक' की स्थिति में लिखित सूचना की अनिवार्यता

19. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के वर्तमान अभ्यावेदन की जांच करते समय समिति ने पाया था कि मंत्रालय बार-बार एक ही बात दोहरा रहा है कि श्री डी.शिवमूर्ति द्वारा पूर्व/मूल पद संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि समिति की दृढ़ राय है कि पहले ही कर्मचारियों को उनके पूर्व पद में पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने संबंधी चूक हेतु अवश्य रूप से लिखित सूचना देने के लिए मंत्रालय द्वारा मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों को पुनः समीक्षा एवं संशोधन करना चाहिए ताकि भविष्य में कर्मचारियों को ऐसी कठिनाई की पुनरावृत्ति न हो। नैसर्गिक न्याय की अनदेखी कर तकनीकी आधार पर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से सेवा समाप्ति के कारण श्री डी.शिवमूर्ति को हो रही कठिनाइयों के लिए समिति ने मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह निम्नलिखित निर्धारक कारकों को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे मामले की पुनः समीक्षा करें -

(एक) किसी सेवारत कर्मचारी द्वारा किसी संगठन में किसी स्थायी पद पर स्वतः पुनर्ग्रहणाधिकार प्राप्त किया गया है, तो क्या कर्मचारी के लिए आवश्यक है कि वह लिखित रूप में अथवा अन्यथा पुनर्ग्रहणाधिकार को बनाए रखने हेतु अनुमति प्राप्त करे, संगठन स्वेच्छानुसार स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार को समाप्त कर सकता है, इस प्रकार कर्मचारी के पास किसी पद पर कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

(दो) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिनांक 13 जनवरी, 1999 के राष्ट्रपति निर्देशों को कार्यान्वित किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ 16 वर्षों के अधिक विलंब के उपरांत कर्मचारी के पुनर्ग्रहणाधिकार को 3 से 5 वर्षों के लिए विस्तार करने से संबंधित है।

(तीन) श्री डी.शिवमूर्ति की सेवा के दौरान, क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उनके पुनर्ग्रहणाधिकार में विस्तार किया गया।

(चार) चूंकि 'किसी कर्मचारी को पदसे कार्यमुक्त करने' तथा 'सेवा से किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने' में अंतर होता है, तो क्या दिनांक 3 मार्च, 2011 को श्री डी. शिवमूर्ति को निदेशक (वित्त) के पद से कार्यमुक्त किया गया, परंतु हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सेवा से नहीं।

20. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि 28 अक्तूबर, 2005 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त होने के पश्चात् श्री डी. शिवमूर्ति 31 मार्च, 2011 अर्थात् अपने कार्यमुक्त होने की तारीख तक उस पद पर रहे। तथापि कार्यमुक्त होने के पश्चात् उन्होंने न तो महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर वापस भेजे जाने हेतु कोई अनुरोध किया और न ही लियन बनाए रखने का मामला उठाया। उन्होंने निदेशक (वित्त) के पद से तत्काल प्रभाव अर्थात् 3 मार्च, 2011 से त्याग-पत्र दे दिया था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके सभी देय उनके खाते में डाल दिए जाएं। उन्होंने 7 मार्च, 2011 और 4 मई, 2011 के पत्र के माध्यम से अपने भविष्य निधि बकायों के निस्तारण का अनुरोध किया था तथा उन्होंने इस आशय की घोषणा की थी कि वह किसी अन्य संगठन में कार्य नहीं करेंगे। इसके पश्चात् 3 वर्ष बीत जाने अर्थात् मई, 2014 में एचएएल में अपने लियन का मुद्दा उठाया था। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि चूंकि एचएएल के कर्मचारी डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23.07.2018 के खंड 1.18 के अनुरूप बोर्ड स्तरीय पदों पर नियुक्ति के पश्चात् अपना लियन बनाए रख सकते हैं इसलिए उन्हें लियन बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामले, जहां पदधारी लिखित रूप में लियन बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं लेना चाहते हैं, को छोड़कर ऐसे अवसर का लाभ न लेने के मामले नहीं उठेंगे। इस संबंध में मंत्रालय ने यह भी बताया है कि लियन लेते समय यह कर्मचारी के संज्ञान में होता है कि लियन के लिए दी गई अनुमति लियन की निर्धारित अवधि के बीत जाने के पश्चात् समाप्त हो जाएगी। चूंकि संबंधित कर्मचारी लियन अवधि की समय-सीमा से अवगत होते हैं इसलिए लियन के समाप्त होने के संबंध में संबंधित कर्मचारी को अलग से लिखित में बताने की आवश्यकता नहीं होती है।

21. श्री डी.शिवमूर्ति की हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से सेवा समाप्ति के बाद उन्हें हुई कठिनाई को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि एचएएल ने अपनी ओर श्री डी.शिवमूर्ति को कोई कठिनाई नहीं होने दी थी। इस मामले में विषम परिस्थिति इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि उन्होंने कंपनी के विद्यमान नियमों के अनुरूप बोर्ड स्तरीय पद से नीचे के पद पर लियन बनाए रखने की मांग नहीं की थी जोकि उनकी नियुक्ति पर या निदेशक (वित्त) पद पर कार्यकाल के विद्यमान डीपीई दिशानिर्देशों पर आधारित था।

22. समिति का सुविचारित मत है कि पुराने पद पर किसी कर्मचारी का लियन उसकी अनुमति लिए बिना स्वतः समाप्त नहीं होनी चाहिए। समिति इस संबंध में अपनी पूर्व की सिफारिश दुहराती है और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से अनुरोध करती है कि वह विद्यमान नियमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन साधारण तरीके से करें ताकि कर्मचारियों को अपने पूर्व के पदों पर लियन की समाप्ति की सूचना पहले ही लिखित रूप से दें ताकि ऐसे कर्मचारियों को भविष्य में ऐसी किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कर्मचारियों को अपना लियन बनाए रखने के संबंध में सुरक्षोपाय हेतु नियम/प्रावधान बनाना।

23. समिति ने पाया था कि किसी कर्मचारी को किसी पद विशेष से कार्यमुक्त करने के संबंध में कोई विशिष्ट नियम/प्रावधान प्रचलन में नहीं है जो कर्मचारी की कंपनी से ही कार्यमुक्त करता हो। समिति ने इस संबंध में सिफारिश की थी कि रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) द्वारा सामान्यतः उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) तथा विशेष रूप से एचएएल के साथ परामर्श करके तत्काल विशेष नियम/प्रावधान बनाए जाएं ताकि भविष्य में कर्मचारियों कैरियर की आकांक्षाओं की कीमत पर तथा श्री शिवमूर्ति जैसे लंबे समय से सेवा देने वाले कार्मिकों की सेवा की समाप्ति के बारे में विविध प्राधिकारियों के बीच अस्पष्टता या अलग-अलग व्याख्या की संभावना न रहे।

24. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि सभी सीपीएसई समय समय पर डीपीई द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा संचालित होते हैं और चूंकि लियन का खंड अर्थात् खंड 1.18 को डीपीई के दिनांक 23.07.2018 के

कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है इसलिए इस संबंध में आगे नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

25. समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि समिति की सह पर सीपीएसई में किसी कर्मचारी के लियन को बनाए रखने के संबंध में नियमों और विनियमनों से संबंधित खंड 1.18 को अब डीपीई में शामिल कर लिया गया है। तथापि, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) यह सुनिश्चित करे कि लियन बनाए रखने के संबंध में डीपीई द्वारा अपनाए गए नियमों और विनियमनों का पालन उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी पीएसयू में अक्षरशः किया जाए ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो और किसी भी परिस्थिति में कोई नियम/विनियम किसी कर्मचारी के कैरियर की प्रगति के मांगों में बाधा उत्पन्न न करे।

लियन बनाए रखने के संबंध में वर्तमान नियमों/विनियमों में संशोधन/विनियमन की समीक्षा

26. समिति ने पाया था कि इस तथ्य के बावजूद कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सामान्यतः और एचएएल द्वारा विशेष रूप से डीओपीटी/डीपीई दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, नियुक्तियों अर्थात् बोर्ड स्तरीय पद से नीचे के पद और बोर्ड स्तरीय पद और बोर्ड स्तर से नीचे बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति, जैसा कि वर्तमान मामले में है, से संबंधित भर्ती नियमों की समीक्षा की आवश्यकता है ताकि किसी कर्मचारी के पूर्व पद पर लियन बनाए रखने के लिए बिना उसकी अनुमति से उसका लियन स्वतः समाप्त न किया जाए। अतः समिति ने अनुरोध किया था कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम) विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के साथ परामर्श करके रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) द्वारा विद्यमान नियमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए और तदनुसार किसी कर्मचारी के नए पद पर संपुष्टि होने तक पिछले पद पर उसका लियन स्वतः बनाए रखे के लिए संगत नियमों/दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए कार्रवाई की जाए। तथापि, मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में केवल यह उल्लेख किया है कि नए पद पर किसी कर्मचारी की संपुष्टि होने तक पिछले पद पर उसके लियन को स्वतः बनाए रखने का मामला तब उत्पन्न होता है जब उक्त दोनों पद स्थायी (मूल) पद हों जिन पर लियन का दावा किया जा सकता है।

27. समिति इस संबंध में अपनी पूर्व की सिफारिश को दुहराती है और मंत्रालय से पुरजोर अनुरोध करती है कि वह भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से परामर्श से किसी कर्मचारी की नए पद पर संपुष्टि होने तक पिछले पद पर उसके लियन को स्वतः बनाए रखने वाले विद्यमान नियमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करे। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
18 फरवरी, 2020
29 माघ, 1941 (शक)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार,
सभापति,
याचिका समिति।

petion/recommedn /tr-II